UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Research Paper
Research Link - 167, Vol - XVI (12), February - 2018, Page No. 163-165
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

भारत में महिलाओं को प्राप्त अधिकार - दशा एवं दिशा

प्रस्तुत शोधपत्र में भारत में महिलाओं को प्राप्त अधिकारों की दशा एवं दिशा का अध्ययन किया गया है। महिला सुरक्षा की प्रासंगिकता जितनी वर्तमान में है, उतनी किसी जंगलराज में भी नहीं रही होगी, क्योंकि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा एवं उत्पीडन एक ज्वलंत समस्या बन गई है। कामुक आकर्षण ही नारी का पर्याय बनकर रह गया है। हर युवा महत्वाकांक्षा का गरल पीकर शिव बनकर घूम रहा है। महिला उत्पीड़न की यह गर्द एकाएक नहीं जमी है। कोई एक इसका गुनहगार भी नहीं है, सबने अपना-अपना योगदान दिया है, बतौर नागरिक हम दोषी हैं, बतौर परिवारजन हम गुनहगार हैं, बतौर सामाजिक इकाई हम गलती पर हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम महिला को भी सुरक्षा का अहसास करायें, क्योंकि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि हमारे ही समाज के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

भावना

प्रस्तावना :

मानव अधिकार का विचार उतना ही पुराना है, जितनी मानव सभ्यता। प्रत्येक समाज का संचालन कुछ नैतिक मापदंडों पर होता है। समाज की निरंतरता बनाये रखने की लिए यह आवश्यक है कि इन नैतिक मूल्यों का पालन किया जाये तथा यदि कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है, तो नियमानुसार दंड दिया जाए। सामाजिक जीवन की वे दशाएँ जो मानव एवं कानून समस्त कार्यों को संपादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दें, मानवाधिकार कहलाती है। मानव को प्रति द्वारा भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। समाज के कुछ वर्ग विशेषतः महिला, बच्चे, अल्पसंख्यक, शरणार्थी आदि हैं, जिनको कि विशेष परिस्थितियों और दयनीय दशा आदि सब के कारण इन्हें कानून के जरिये संरक्षण प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।

अधिकार ही मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रबलता प्रदान करते हैं। महिला अधिकार इसी क्रम की एक सीढ़ी है, जिसके योगदान से होकर नारी अबला से सबला तक का सफर तय कर सकती है।

महिलाएँ जो कि समाज का लगभग आधा हिस्सा है, कि स्थिति भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के सभी देशों में प्रारंभिक काल से ही दयनीय रही है। संपूर्ण विश्व में महिलाओं पर हमेशा से ही अत्याचार किए जाते रहे हैं। जिसका प्रमुख कारण महिलाओं का अबला, कमजोर समझना एवं कुछ हद तक उनका आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ापन भी रहा है। यद्यपि मानवाधिकार पुरूष व महिला दोनों वर्गों की दृष्टि से एक ही है, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों का प्रश्न इसलियें विचारणीय और महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुरूषप्रधान समाज में लिंग भेद की परंपरा सदियों से चलती आ रही है।

भारत में भी 19वीं सदी में बदलाव आना प्रारंभ हुआ। बंगाल में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम चलायी, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर और गुजरात में दयानंद सरस्वती महिला शिक्षा और विधवा विवाह जैसे मुद्दों को लेकर काम किया। 20वीं शताब्दी में महिलाओं की समानता और इनकी भूमिका को सभी देशों में माना गया और यह माना गया की महिलाओं के मानवाधिकार अभिन्न और अविभाज्य हैं।

महिला अधिकार एवं भारतीय स्थिति :

मानवाधिकारों विशेषकर महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति के क्षेत्र में भारत में भी लम्बे संघर्ष की कहानी है। सदियों से भारत में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, अधिकार विहीनता, रूढ़िवादिता समाज का अंग था। भारत में धार्मिक रीति रिवाज एक तरफ तो यह आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि "यत्र नार्यस्तु पूजयन्तें, रमन्ते तत्र देवता" तो दूसरी तरफ किसी भी उम्र किसी भी हालत में महिलाओं को स्वतंत्र न छोड़ने के निर्देश भी देते है।

"जिमि स्वतंत्र हो हि, बिगरहि नारी"

दरअसल हमारे समाज में एक स्त्री को हर पल, हर क्षण एक स्त्री के रूप में (गुलाम, बिना दिमागवाली, आज्ञाकारणी) रचने की प्रक्रिया बेरोकटोक चलती रहती है। परन्तु 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा के आगमन से संसतियों में टकराव हुआ फलस्वरूप महिला अधिकारों की बात की जाने लगी। लोग परम्परागत ढाँचे से बाहर निकल कर सोचने लगे तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा।

भारतीय संविधान में प्रदत्त महिलाओं के अधिकार :

भारत में संविधान की प्रस्तावना "हम भारत के लोग" शब्द से प्रारंभ है, जिसका अर्थ है स्त्री और पुरूष को समानता का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संदर्भ में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

व्याख्याता (इतिहास विभाग), राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़ (राजस्थान)

अनुच्छेद 15 :

15 (1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 16 :

इसके अनुसार केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के लिय विषय में न अपात्रता होगी और न ही विभेद किया जाएगा।

अनुच्छेद 19 :

अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत यह प्रावधान किय गया है कि समान रूप से प्रत्येक नागरिक को शोषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 21 :

यह प्राण, दैहिक स्वतंत्रता एवं संरक्षण के अधिकार की व्यवस्था करता है।

अनुच्छेद 23 तथा 24 :

इसके अनुसार मानव के अवैध व्यापार, बेगार और अन्य बाबत् श्रम, कारखानों मे बच्चों के नियोजन आदि के द्वारा शोषण के विरूद्ध संरक्षण प्रदान किया जाता है।

अनुच्छेद 39 :

अनुच्छेद 39 (क) के अनुसार पुरूष और महिला नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

अनुच्छेद 42 :

अनुच्छेद 42 द्वारा महिलाओं के लिए प्रसुतिकाल में राहत की व्यवस्था तथा काम के स्थान पर मानवीय सुविधा की व्यवस्था करेगा।

73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन :

73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज सस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हैं व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1/3 सीटें नगरीय निकायों में महिलाओं हेतु आरक्षित की गयी हैं।

सैन्य सेवा में स्थायी कमीशन :

दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैंसले के अनुसार वर्ष 2006 से पहले सेना में भर्ती महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाएगा और भविष्य में सैन्य सेवाओं की भर्ती और नौकरियों में महिलाओं के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा।

भरण–पोषण का अधिकार :

धारा 125 के अनुसार कोई भी ऐसी महिला, जिसके पास अपनी आय के साधन नहीं है, अपने पति से खुद के लिए तथा अपने छोटे बच्चों में से प्रत्येक के लिये 500 रूपये तक मासिक के हिसाब से भरण–पोषण भत्ता प्राप्त कर सकती है।

महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम :

यह अधिनियम सन् 1986 में बना व इसके अंतर्गत विज्ञापन, पोस्टर, सूचना पत्र, लेबल या दृश्यरूपेण द्वारा स्त्री के रूप, शरीर या उसकी आति को ऐसे ढंग से प्रकट करना निषेध है, जो कि महिला वर्ग के चरित्र को कलंकित करने या नैतिकता को हानि पहुँचाने वाला है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 :

इस अधिनियम के अंतर्गत अपने माता–पिता के संपत्ति में लड़का व लड़की को समान अधिकार प्राप्त है। 1 जुलाई, 2005 से नए कानून के तहत् बेटियों को संपत्ति में बेटो के बराबर हक प्रदान किया गया है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम :

इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को पति तथा ससुराल वालो की क्रूरता व हिंसा से बचाया जा सकता है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 :

यह अधिनियम सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाओं में कार्यरत्त महिलाओं को प्रसूति से पूर्व व पश्चात् कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करती हैं। वर्तमान में महिलाओं को 180 दिन का प्रसूति अवकाश दिया जाता है व पुरूषों को अपनी पत्नि की प्रसूति के समय 15 दिन का विशेष पितृत्व अवकाश देय होगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन–शोषण रोकने हेतु विधेयक :

यह विधेयक निजी व सार्वजनिक कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिये संसद में लाया गया। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक 2010 लोक सभा में 3 सितम्बर, 2012 को पारित किया गया।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने संबंधी प्रावधान :

पी.एन.डी.टी. एक्ट 1994 प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित करने व देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का एक कानूनी प्रावधान है। इसे 20 सितम्बर, 1994 को लागू किया गया। 2005 में इसमें संशोधन किया गया व इसमें पहली बार गर्भवती महिला को फार्म एफ भरने,नर्सिंग होम व क्लीनिक के पंजीकरण आदि को शामिल किया गया व इसको नया नाम पी.सी. पी.एन.डी.टी. एक्ट दिया गया।

इसके अलावा महिलाओं के मानव अधिकारों के लोक रक्षक के रूप में कार्य करने के लिये महिलाओं के अधिकार के लिए एक राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ–साथ राज्यों में राज्य महिला आयोग स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतू राष्ट्रीया नीति के रूप में 'महिला सशक्तिकरण नीति 2001' बनायी गयी है।

वर्तमान स्थिति :

मुंशी प्रेमचन्द जी ने अपनी कहानी 'बड़े भाई साहब' मे एक स्थान पर लिखा था, "समय सारणी बनाना एक बात है उस पर अमल करना दूसरी बात"। ठीक यही स्थिति आज महिला कानूनों की है। भारत में महिलाओं को संविधान व विधि द्वारा समानता, न्याय, अवसर की समता, शिक्षा, पोषण व सुरक्षा प्रदान करने के पश्चात् आज भी आंकड़े व अनुभव बताते हैं कि महिलाओं की दशा में अत्याधिक सुधार नहीं हुआ है। समाज की रूढ़िवादी सोच शिक्षा व कानून दोनो पर भारी पड़ रही है। यही कारण है कि आज की नारी को भी बलात्कार, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव, भ्रूण हत्या इत्यादि समस्याओं से जुझना पड़ रहा है। कन्या भ्रूण हत्या के संबंध मे कठोर प्रावधान होने के बावजूद राष्ट्रीय लिंगानुपात 940 व उसमें भी 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 927 से घटकर 2011 में मात्र 914 ही रह गया। इसी प्रकार 74 प्रतिशत राष्ट्रीय साक्षरता में पुरूषों की 82.14 प्रतिशत साक्षरता के मुकाबले महिला

साक्षरता 65.46 प्रतिशत है। अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका न्यूज वीक की सितम्बर, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक तथा राजनैतिक पैमानों पर भारतीय महिलाओं की स्थिति अंत्यंत बुरी है।

असमानता के आँकड़े हर क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि यद्यपि विभिन्न कानून व उपबंध महिलाओं हेतु बनाए गए हैं, किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। आज इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है कि आजादी के इतने वर्षों पश्चात् भी क्यों महिलाएँ समाज में वह सम्मान व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकी, जो हमारे संवैधिानिक आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए ? क्यों आज भी हमारा तथाकथित सभ्य समाज नारी को उसकी देह से परे एक मानव के रूप में देख और सोच नहीं पाता है ? क्या यही हमारा विकासशील देश है जिसमें आये दिन घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, यौन–उत्पीड़न, बलात्कार जैसी घटनाएँ आम हैं। आज भी यही वर्तमान स्थिति हमारे सभ्य समाज के आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। किसी भी क्षेत्र में दृष्टिपात करें, निराशा का राज्य ही दिखायी देता है।

निष्कर्ष :

महिला सुरक्षा की प्रासंगिकता जितनी वर्तमान में है, उतनी किसी जंगलराज में भी नहीं रही होगी, क्योंकि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा एवं उत्पीड़न एक ज्वलंत समस्या बन गयी है। कामुक आकर्षण ही नारी का पर्याय बनकर रह गया है। हर युवा महत्वाकांक्षा का गरल पीकर 'शिव' बनकर घूम रहा है। महिला उत्पीड़न की यह गर्द एकाएक नहीं जमी है। कोई एक इसका गुनहगार भी नहीं है, सबने अपना–अपना योगदान दिया है, बतौर नागरिक हम दोषी है, बतौर परिवारजन हम गुनहगार है, बतौर सामाजिक इकाई हम गलती पर है। बात जब महिलाओं की होती है, तो क्यों हमारी छोटी सोच उजागर हो जाती है और हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारा समाज इंसानों से क्यों नहीं बना है, यह स्त्री और पुरूष में क्यों बंटा है ?

आज आवश्यकता इस बात है कि हम महिला को भी सुरक्षा का अहसास करायें, क्योंकि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि हमारे ही समाज के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। सिर्फ कानून बना देने से ही हमारा दायित्व पूर्ण नहीं हो जाता है, बल्कि उसको लागू करने में, उसको सफल बनाने मे संपूर्ण समाज का योगदान अवश्यम्भावी है। सबको मिलकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान देना होगा एक ऐसा समाज जिसमें नारी को चहुँमुखी उन्नति का अवसर मिले। उसे हर जगह सिर्फ इसलिये पीड़ित ना किया जाये कि वह केवल एक स्त्री है। छेड़छाड़, बलात्कार की घटनाओं से मुक्त समाज जहाँ नारी घर से बाहर निकलने में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। तब शायद नारी यह कह सकेगी कि "अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो" और सही अर्थों में मानवाधिकारोंकी संकल्पना यथार्थ में बदलेगी।

संदर्भ :

(1) मीना, डॉ. जनकसिंह (2015) : भारत में मानवाधिकार और महिलाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।

***(2)** अंसारी, एम.ए. (2007) : महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन जयपुर।*

***(3)** श्रीवास्तव, सुधा रानी व रागिनी (2001) : मानव अधिकार और महिला उत्पीड़न, कॉमन वैल्थ पब्लिशस, नई दिल्ली।*

***(4)** शर्मा, मंजू : नारी शोषण और मानवाधिकार, राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।*

***(5)** सिंह, राजबाला (2006) : मानवाधिकार और महिलाएँ, आविष्कार पब्लिशर्स।*

***(6)** सिंह, विकास (2014) : भारत का संविधान – एक समग्र अध्ययन, आर्शीवाद पब्लिकेशन, जयपुर।*

***(7)** चंदेल, धर्मवीर (2013) : मानवाधिकार संघर्ष एवं चुनौतियाँ, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर।*

***(8)** सैनी, एस. के. (2013) : मानवाधिकार विधियाँ, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।*

***(9)** सिंह, मीनाक्षी (2008) : आधुनिकता और महिला उत्पीड़न, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली।*

***(10)** देसाई, नीरा (1982) : भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।*

***(11)** गुप्ता, कमलेश कुमार (2005) : भारतीय महिला शोषण, उत्पीड़न एवं अधिकार, बुक एन्क्लेव, जयपुर।*

***(12)** क्रॉनिकल, जून 2012 (मासिक पत्रिका)।*

***(13)** प्रतियोगिता दर्पण, 2012 (मासिक पत्रिका)।*

❁ ❁

UGC -

APPROVED - JOURNAL

UGC Journal Details

Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science

Print